



UPLK010181232024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2896 / 2024

सरकार

बनाम

तेज सिंह उर्फ गोविन्दा व आदि

अ0सं0 164 / 2024

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-आलमबाग, लखनऊ ।

08-08-2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्तगणगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगणगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 01.09.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010181232024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2896 / 2024

सरकार बनाम तेज सिंह उर्फ गोविन्दा व आदि

अ0सं0 164 / 2024

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-आलमबाग, लखनऊ ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 20.06.2024 समय लगभग 10.00 बजे, आलमबाग, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत सरदारीखेड़ा में आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन द्वारा वादिनी मुकदमा अनुराधा देवी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन द्वारा वादिनी मुकदमा अनुराधा देवी को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन द्वारा वादिनी मुकदमा अनुराधा देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन द्वारा वादिनी मुकदमा अनुराधा देवी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा-3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण तेज सिंह उर्फ गोविन्दा, मीना सिया व किरन द्वारा वादिनी मुकदमा अनुराधा देवी, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० की धारा-3(1) ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 08-08-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी06127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 08-08-2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०-एस०टी० ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड-यूपी06127

